This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 27 जून, 2020 / 06 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 जून, 2020

संख्याः आईपीएच–ए–ए(1)–11 / 2018.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,

हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग–I (राजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

आदेश द्वारा,

अमिताभ अवस्थी,
सचिव (जल शक्ति विभाग)

————————

उपाबन्ध – ''क''

हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम**.––कम्प्यूटर प्रोग्रामर

2. **पद (पदों) की संख्या**.––02 (दो)

3. **वर्गीकरण**.––वर्ग–I (राजपत्रित)

4. **वेतनमान**.––*(I) नियमित पदधारी (पदधारियों)के लिए पे बैण्ड :* ₹ 10300–34800 / – जमा ₹ 5000 / –ग्रेड पे।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या : 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 15300 / – प्रतिमास।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद**.––अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु**.––18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा / होगी:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों में

आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारिम्भक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अंतिम रूप मे आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––*(क) अनिवार्य अर्हता (एं)* : हिमाचल प्रदेश / केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नलिखित विद्या की (शाखा) शाखाओं में उपाधि (डिग्री कोर्स):– बी0ई0 / बी0टेक(कम्प्यूटर विज्ञान / इंजीनियरिंग या उपाधि पाठ्यक्रम (डिग्री कोर्स) के एक अनिवार्य घटक के रूप में प्रोग्रामिंग सहित सूचना प्रौद्योगिकी) / एम0सी0ए0 / नाइलिट (एन0आई0ई0एल0आई0टी0) से 'बी' या 'सी' स्तर का कोर्स या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोतर उपाधि ।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––*आयु* : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (एं) : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या <u>प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट /</u> स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. <u>प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण</u> द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण किया जाएगा.––लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय <u>प्रोन्नति / स्थायीकरण</u> समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.––(क) विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश

लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क. संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पना :

(*क*) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, जल शक्ति विभाग में कम्प्यूटर प्रोग्रामर, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना: प्रशासनिक सचिव (जल शक्ति विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्द्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर को ₹ 15300 / – की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 459 / – की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी:

प्रशासनिक सचिव (जल शक्ति विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 15300/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 459/– (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

————————

उपाबन्ध–ख

कम्प्यूटर प्रोग्रामर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ..... प्रशासनिक सचिव (जल शक्ति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति.....पुत्र / पुत्री श्री..... ..... निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव (जल शक्ति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रक्रिया अभियन्ता के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि

प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ..... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार प्रक्रिया अभियन्ता की समेकित नियत संविदात्मक रकम ₹ 15300 / – प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।

4. संविदा पद नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि

उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. IPH-A-A(1)-11/2018, dated 18-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th June, 2020

No. IPH-A-A(1)-11/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer Programmer, Class-I (Gazetted) in the Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to the notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Jal Shakti Vibhag, Computer Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

AMITABH AVASTHI,
Secretary (JSV).

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPUTER PROGRAMMER CLASS-I (GAZETTED) IN THE JAL SHAKTI VIBHAG, HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.—Computer Programmer

2. Number of post.—02 (Two)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay.—*(i) Pay band for regular incumbents :* ₹ 10300-34800+₹ 5000/- Grade pay

(ii) Emoluments for contract employees : ₹ 15300/- P.M. as per details given in Column No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector

Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—*(a) Essential qualification(s) :* Degree Course in the following stream(s) from any University/Institution duly recognized by H.P./Central Government:—

B.E./B.Tech. (Computer Science/Engineering or Information Technology with programming as an essential component of the degree course)/MCA/'B' or 'C' Level Course of NIELIT.

OR

Master's Degree in Computer Science or Master's Degree in Information Technology.

(b) Desirable Qualification(s) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply inm the case of the promotee(s).—*Age*: Not applicable

Educational Qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two Years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade for which promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not applicable

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.— Departmental Promotion Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15 Selection of appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(*a*) Under this policy the Computer Programmer in Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:

The Administrative Secretary (JSV) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Computer Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ ₹ 15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). An amount of ₹ 459/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Administrative Secretary (JSV) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or

other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B"** appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contract appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 15300 per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 459/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis.The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of order(s) appealed, is delivered to him/her.

(c) The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, *e.g.* in Police Organizations, etc. and they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept served for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Computer Programmer and the Government of Himachal Pradesh through the Secretary (JSV)

This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year …………........Between Sh./Smt.………s/o/d/o Shri….………………………r/o………………........ ………………………………………Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Administrative Secretary (JSV) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after referred as to the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Computer Programmer on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Computer Programmer for a period of one year commencing on day of…… and ending on the day of ……. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on……..and information/notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 15300/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, *e.g.* in Police Organizations, etc. and they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept served for her.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS, the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …….....

   ……
   (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ……...

   ……..
   (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …….....

   ……
   (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. ……..

   ……..
   (Name and Full Address)

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 9 जून, 2020

संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 61 / 2019.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मण्डयालू, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में कदोग से मण्डयालू सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकबा (है0 में)
शिमला	सुन्नी	मण्डयालू	21 / 1	00–01–84
			38 / 1	00–00–89
			47 / 1	00–00–44
			72 / 1 / 1	00–04–02
			120 / 1	00–02–48
			113 / 1	00–01–14
			कित्ताः 06	00–10–81

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

———

PERSONAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th June, 2020

No. Per (AR) B(2) 2/2020.—In pursuance of Section 15 (3) of the Right to Infomation Act, 2005 the Governor of Himachal Padesh is pleased to constitute a Committee consisting of the following :—

(i) Shri Jai Ram thakur : Chairman

Hon'ble Chief Minister.

(ii) Shri Mukesh Agnihotri : Member
Hon'ble Leader of Opposition.

(iii) Shri Govind Singh Thakur : Member
Hon'ble Minister of Forest, Transport, YSS.

2. The aforesaid Committee will consider and recommend the name of the State Information Commissioner to operationalise the State Information Commission as envisaged in the Act *ibid*.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

उपायुक्त कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

आदेश

शिमला–1, 23 जून, 2020

संख्या : पीसी–एसएमए(4) / 2015–तकलेच–II–19035.––यह कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच–एसएमएल(4) / 2015–तकलेच–4854–61, दिनांक 29–5–2017 की अनुपालना में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) रामपुर के कार्यालय पत्र संख्या RMP-Reader/2017-513 दिनांक 29–11–2017 के माध्यम से नियमित जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। उप–मण्डलाधिकारी (ना0) रामपुर, जिला शिमला द्वारा कुमारी पवना, प्रधान ग्राम पंचायत तकलेच, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला के विरुद्ध लगाए गए आरोप संख्या 1 से 7 की जांच की गई तथा आरोप संख्या 1 से 4 जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाए गए थे। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कुमारी पवना, प्रधान ग्रांम पंचायत तकलेच सरकारी धन के दुरुपयोग, अभिलेखों के छेड़छाड़ व वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में दोषी पाए जाने के दृष्टिगत उन्हें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच–एसएमए(4) / 2015–तकलेच–4667, दिनांक 7–7–2018 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित किया गया था।

यह कि उक्त सन्दर्भ में माननीय मण्डलायुक्त शिमला मण्डल, शिमला द्वारा अपील संख्या 235 / 2018 पवना कुमारी बनाम राज्य सरकार में दिनांक 7–1–2019 को पारित आदेश की अनुपालना में कुमारी पवना प्रधान ग्राम पंचायत तकलेच को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् पाया गया कि अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के क्रम संख्या 2 (जो कि मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित था तथा जिसका उल्लेख माननीय मण्डलायुक्त के उपरोक्त आदेश में किया गया था) की पुनः जांच की जानी आवश्यक है तथा जांच हेतु मामला उप–निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिमला, जिला शिमला को प्रेषित किया गया था।

यह कि उप–निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिमला, जिला शिमला द्वारा उनके कार्यालय पत्र संख्या DRDA(S)-Inquiry Taklech/2019-1492 दिनांक 26 फरवरी, 2020 के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जांच रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कार्यवाही रजिस्टर में मनरेगा शैल्फ के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित / दर्ज नहीं किया गया है तथा वर्ष 2015–16 में मनरेगा में व्यय ग्राम सभा में पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल जारी करने को रजिस्टर व रोकड

बही खाता बही व मापन पुस्तिका बिल वाउचर व कोटेशन के संधारण से सम्बन्धी प्रक्रिया का आंशिक रूप से प्रक्रिया का पालन किया गया है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को उक्त प्रधान को इस आशय सहित प्रेषित किया गया था कि इस सम्बन्ध में लिखित टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रस्तुत करें।

यह कि उक्त प्रधान का लिखित उत्तर इस कार्यालय में दिनांक 3–6–2020 को प्राप्त हुआ है। प्रधान द्वारा अपने उत्तर में प्रस्तुत किया है कि पंचायत सचिव का यह कर्त्तव्य है कि वह कार्यवाही रजिस्टर में ग्राम सभा बैठक का इन्द्राज करे तथा वर्ष 2015–16 व 2016–17 में मनरेगा से सम्बन्धित खर्च का ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में इन्द्राज करें।

यह कि उपमण्डलाधिकारी (ना0) रामपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार यह प्रमाणित हुआ है कि मनरेगा 2013 के दिशानिर्देशानुसार पौधों की खरीद नहीं की गई। वनमण्डलाधिकारी रामपुर के अनुसार जो पौधों की दरें निर्धारित की गई थी आरोपित पदाधिकारी द्वारा उससे अधिक दरों पर पौधे की खरीद की गई, जिससे मु0 1,54,380 / – रु0 के सरकारी धन का दुरुपयोग पाया गया तथा जो पौधारोपण किया गया है उसका तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया है, जबकि मनरेगा 2013 के पैरा 7.13 के दिशानिर्देश अनुसार मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत जो भी कार्य किया जाता है उसका माप पुस्तिका में इन्द्राज करना अनिवार्य है जो बिल पंचायत द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह बिना मूल्यांकन के प्रस्तुत किए गए हैं।

मैंने उपमण्डलाधिकारी (ना0) रामपुर तथा उप–निदेशक एवं परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शिमला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व प्रधान ग्राम पंचायत तकलेच, विकास खण्ड रामपुर द्वारा दिए गए उत्तर का अवलोकन कर लिया है। उक्त प्रधान से प्राप्त उत्तर तथ्यों पर आधारित व संतोषजनक नहीं पाया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 10 के प्रावधान अनुसार पंचायत सचिव, प्रधान के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के सभी विहित अभिलेखों व रजिस्टर तथा उसमें निहित अन्य सम्पत्ति की अभिरक्षा व रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है। इस तरह प्रधान का यह कथन तर्कसंगत नहीं है कि यह केवल पंचायत सचिव का यह कर्त्तव्य है कि वह कार्यवाही रजिस्टर में ग्राम सभा बैठक का इन्द्राज करें। इसके अतिरिक्त प्रधान, ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अदायगियों के लिए संयुक्त हस्ताक्षरी ;श्रवपदज ैपहदंजवतलद्ध होने के नाते ग्राम पंचायत की राशि के अहरण एवं वितरण, वित्तिय, औचित्य के सिद्धान्तों का पालन करने तथा ग्राम पंचायत के व्यय आदि पर नियन्त्रण रखने हेतु समान रूप से उत्तरदायी है।

अतः जांच रिपोर्ट व प्रधान द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर गहनता से विचार करने के उपरान्त मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त प्रधान द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में गम्भीर अनियमितता की है तथा वह सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में दोषी पाई गई है। इसके अतिरिक्त कार्यवाही रजिस्टर में मनरेगा शैल्फ के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित / दर्ज न करने व मनरेगा दिशा–निर्देशों व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का पालन न करने की दोषी है। इस प्रकार वे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्य निर्वहन के अवचार में दोषी है जिस कारण से वे प्रधान जैसे गरिमामय पद पर बने रहने के योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत कुमारी पवना, प्रधान ग्राम पंचायत तकलेच, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से निष्कासित किया जाता है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(2) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने के छः वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत निर्वाचन हेतु निरहित किए जाने की शस्ति अधिरोपित की जाती है। यह भी आदेश दिए जाते है यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल, अचल सम्पत्ति, मोहर, रिकार्ड व नकदी के रूप में है, तो उसे तुरन्त पंचायत सचिव को सौपना सुनिश्चित करे।

हस्ताक्षरित / –
अमित कश्यप, भ0प्र0से0,
उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 20 जून, 2020

संख्याः परि छ (7)–5/99–पार्ट–I.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध– "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (परिवहन)।

————————

उपाबन्ध–'क'

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग–II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम**.––सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

2. **पद (पदों) की संख्या**.––12 (बारह)

3. **वर्गीकरण**.––वर्ग–II (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान (विस्तृत रूप में अंकित करें)**.––पे बैण्ड ₹10300–34000 जमा ₹ 4800/– रुपये ग्रेड पे।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद**.––अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु**.––लागू नहीं

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**––*(क) अनिवार्य अर्हता (अर्हताएं)* : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.**––*आयु* : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति– भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.––निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वाराः–

(i) वरिष्ठ सहायकों में से जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ..सत्तर प्रतिशत;

(ii) वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षकों में से जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त (i) में से ..बीस प्रतिशत; और

(iii) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त (i) में से.....दस प्रतिशत।

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः–

रोस्टर बिन्दु संख्या	सम्भरक प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवां, सातवां, नौवां और दसवां	वरिष्ठ सहायक के लिए
चौथा और आठवां	वरिष्ठ मोटरवाहन निरीक्षक के लिए
छठा	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के लिए
टिप्पण.–रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात् पद को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।	

(1) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती / स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उसके कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.– उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं / सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण.– उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल
3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण.–उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

(i) उप–मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक् (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.–अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में कार्यग्रहण किया है और जिसे आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––लागू नहीं।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किऐ गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगा / सकेगी।

––––––––––

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pari-Chha (7)-5/99-Part-I dated 20-06-2020 as required under Article 348(3)OF the constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 20*th June*, 2020

No. Pari-Chha(7)-5/99-Part-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the

Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Regional Transport Officer, Class-II (Non-Gazetted) in the Transport Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Transport Department, Assistant Regional Transport Officer, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force form the date of publication in the Rajpatra, (e-Gazzette) Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Principal Secretary(Transport).

———

Annexure-'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT REGIONAL TRANSPORT OFFICER, CLASS-II (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TRANSPORT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Assistant Regional Transport Officer

2. Number of Post(s).—12 (Twelve)

3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay (Be given in expanded notation)**.—**Pay band Rs. 10300-34000+4800 Grade Pay.

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruit(s).—*(a) Essential Qualification(s) :* Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s) : Not applicable

8. Whether age and educational Qualification prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not Applicable.

Education Qualification(s): Not Applicable

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade (s) from which promotion/secondment/ transfer is to be made.—*By promotion from amongst the :* (i) Senior Assistants with six years regular service or regular combined with continuous adhoc service, in the grade …70%;

(ii) Senior Motor Vehicle Inspectors with six years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, in the grade, falling which from amongst (i) above 20%; and

(iii) Senior Scale Stenographers with six years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, in the grade, falling which from amongst (i) above ….10%

For filling up the posts of Assistant Regional Transport Officer the following 10 points roster shall be followed:—

Roster point No.	Feeder Category
1st , 2nd, 3rd, 5th, 7th, 9th & 10th	Senior Assistant
4th & 8th	Senior Motor Vehicle Inspector
6th	Senior Scale Stenographer
Note.— This roster will be rotated after every 10th point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.	

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) *supra* the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso(I) *supra* the Tribal/Difficult/Hard Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Barmour Sub-Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Cricles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) *supra* the Remote/Rural Areas shall be as under:

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more then 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards

the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered shall remain unchanged.

12. If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not-applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not-applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the Provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Tarun Thakur aged 25 years s/o Sh. Baldev Singh Thakur, r/o House No. 40/1 Village Madan, P.O. Bhanjraru, Tehsil Churah Chaurah and Distt. Chamba (H.P.)-176316 at present the c/o Sh. Dola Ram, r/o V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) & Daiamond Marwein d/o Sh. B. Passah, r/o Sunny Hill, Veterinery, Shillong, Shillong (mb), East Khasi Hills, Lewduh Meghalaya-793002 at present c/o Sh. Dola Ram, r/o V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Tarun Thakur aged 25 years s/o Sh. Baldev Singh Thakur, r/o House No. 40/1 Village Madan, P.O. Bhanjraru, Tehsil Churah Chaurah and Distt. Chamba (H.P.)-176316 at present under the c/o Sh. Dola Ram, r/o V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) Daiamond Marwein d/o Sh. B. Passah, r/o Sunny Hill, Veterinery, Shillong, Shillong (mb), East Khasi Hills, Lewduh Meghalaya-793002 at present c/o Sh. Dola Ram, r/o V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali,

Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 19-06-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 19-07-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on .....day of ..... 2020.

Seal. Sd/-

Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Manali, District Kullu, H.P.

In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Mr. Mingmar Dorze Sherpa, aged 31 years s/o Sh. Tenzin Sherpa, r/o Dar-UI-Fazl Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Gloria Sonam Dolma, aged 27 years d/o Sh. Tsering Dorje, r/o Dar-UI- Fazl Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Mingmar Dorze Sherpa, aged 31 years s/o Sh. Tenzin Sherpa, r/o Dar-UI-Fazl Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Gloria Sonam Dolma, aged 27 years d/o Sh. Tsering Dorje r/o Dar-UI-Fazl Children Home Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 19-06-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 19-07-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on19 day of June, 2020.

Seal. Sd/-

Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Manali, District Kullu, H.P.

In the Court of Mr. Raman Gharsanghi (HAS), Special Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Chaman Nayyar s/o Sh. Nand Lal, Village Gazan, P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Mrs. Sunita Bodh d/o Late Sh. Palzor Bodh Presently w/o Sh. Chaman Nayyar s/o Sh. Nand Lal, Village Gazan, P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) . . *Applicant's*.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Chaman Nayyar s/o Sh. Nand Lal, Village Gazan, P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Sunita Bodh d/o Late Sh. Palzor Bodh Presently w/o Sh. Chaman Nayyar s/o Sh. Nand Lal, Village Gazan, P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 05-03-2020 in this court for the registration of the marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issue for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 13-07-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or truth an authorized agent filling which is marriage will be register under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 15-06-2020.

Seal. Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

In the Court of Mr. Raman Gharsanghi (HAS), Special Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Prakash s/o Sh. Mohar Singh, Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Mrs. Lisha Devi d/o Sh. Ram Singh, V. P.O. Buruwa, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) Presently w/o Sh. Prakash s/o Sh. Mohar Singh, Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) . . *Applicant's*.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Prakash s/o Sh. Mohar Singh, Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Lisha Devi d/o Sh. Ram Singh, V.P.O. Buruwa, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) presently w/o Sh. Prakash s/o Sh. Mohar Singh, Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 16-03-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 13-07-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or truth an authorized agent filling which is marriage will be register under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 15-06-2020.

Seal. Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

In the Court of Mr. Raman Gharsanghi (HAS), Special Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Pankaj Thakur s/o Sh. Pritam Singh, r/o Village & P.O. Marhana, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

and

Mrs. Dorje Dolma d/o Sh. Phunchok Dorje, r/o V.P.O. Hurling, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti (H.P.) at present House No. 146, Ward No. 2, Bhajogi, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). . . *Applicant's*.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Pankaj Thakur s/o Sh. Pritam Singh, r/o Village & P.O. Marhana, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) and Mrs. Dorje Dolma d/o Sh. Phunchok Dorje, r/o V.P.O. Hurling, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti (H.P.) at Present House No. 146, Ward No. 2, Bhajogi, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 16-03-2020 in this court for the registration of the marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this

proclamation is hereby issue for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 13-07-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or truth an authorized agent filling which this marriage will be register under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 17-06-2020.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 4 / 2020 आगामी पेशी : 16–07–2020

श्री डाबे राम पुत्र डोलू राम, निवासी गांव टिपरी शराई, महाल शाला, डाकघर बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री डाबे राम पुत्र डोलू राम, निवासी गांव टिपरी शराई, महाल शाला, डाकघर बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 17–06–2020 को इस अदालत में आवेदन–पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में डबू गलती से दर्ज हुआ है। जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य रिकॉर्ड में उसका नाम डाबे राम दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0–राजस्व अभिलेख में उसका नाम डबू की जगह डाबे राम उर्फ डबू दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 16–07–2020 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हीरा लाल हिमराल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम गोपाल पुत्र श्री देव दत्त, निवासी जोहाना, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम गोपाल पुत्र श्री देव दत्त, निवासी जोहाना, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनके पुत्र दिव्यांश जिसकी जन्म तिथि 14–10–2017 है का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया गया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–07–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08–06–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

––––––––

ब अदालत श्री हीरा लाल हिमराल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जय नारायण पुत्र श्री मंशा राम, निवासी बाग पशोग, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जय नारायण पुत्र श्री मंशा राम, निवासी बाग पशोग, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी पुत्रियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया गया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत में दर्ज करवाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	नाम	जन्म तिथि
1.	रीना शर्मा पुत्री श्री जय नारायण	16–04–1983
2.	अंजना कुमारी पुत्री श्री जय नारायण	16–04–1978

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–07–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08–06–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत श्री हीरा लाल हिमराल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री माता राम पुत्र श्री सेठु राम, निवासी लाना बाका, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री माता राम पुत्र श्री सेठु राम, निवासी लाना बाका, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनके पुत्र लोकेश जिसकी जन्म तिथि 15–08–2006 है का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया गया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे उक्त प्रार्थना–पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–07–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08–06–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हीरा लाल हिमराल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री जसवंत सिंह, निवासी हाऊस नं0 77, वार्ड नं0 10, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री जसवंत सिंह, निवासी हाऊस नं0 77, वार्ड नं0 10, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी पुत्रियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया गया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे उक्त प्रार्थना–पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	नाम	जन्म तिथि
1.	पूजा देवी पुत्री स्व0 श्री जसवंत सिंह व श्रीमती कान्ता देवी	27–04–1996
2.	शालू देवी पुत्री स्व0 श्री जसवंत सिंह व श्रीमती कान्ता देवी	20–11–1997

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–07–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08–06–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

––––––––

ब अदालत श्री हीरा लाल हिमराल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दयाल चन्द पुत्र श्री रूलिया राम, निवासी मेन बाजार सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दयाल चन्द पुत्र श्री रूलिया राम, निवासी मेन बाजार सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनके चचेरे भाई स्व0 श्री लाल चन्द पुत्र श्री फागु राम का पंजीकरण ग्राम पंचायत मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था अनुरोध किया गया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र पर जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–07–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08–06–2020 को हमारे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री आलम, निवासी चौरास–टारना, डाकघर देवना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री विनोद कुमार पुत्र श्री आलम, निवासी चौरास–टारना, डाकघर देवना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र / पुत्री (1) श्री अनीष चौहान जिसकी जन्म तिथि 10–01–2006 तथा (2) श्री समीर चौहान जिसकी जन्म तिथि 07–10–2007 है का नाम ग्राम पंचायत / नगर पालिका देवना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28–07–2020 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर श्री / कुमारी (1) श्री अनीष चौहान, (2) श्री समीर चौहान के नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–06–2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Shakuntla Devi d/o Sh. Kashmiri Lal Verma, r/o House No. 208, Kashmiri Mohalla, V.P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Shakuntla Devi d/o Sh. Kashmiri Lal Verma, r/o House No. 208, Kashmiri Mohalla, V.P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth *i.e.* 12-05-1949 at House No. 208, Kashmiri Mohalla, V.P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Cantt. Board Subathu.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Shakuntla Devi d/o Sh. Kashmiri Lal Verma, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 17-07-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of June, 2020.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है